भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या : 894
दिनांक 23 जुलाई, 2026

कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का स्वदेशी उत्पादन

†894. **श्री नागेश बापुराव अष्टिकर पाटिलः**
श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवालः

क्या ***पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने पिछले पाँच वर्षों के दौरान देश में कच्चे तेल, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के स्वदेशी उत्पादन और खपत/आवश्यकता के बीच के अंतर और घरेलू उत्पादन के रुझानों संबंधी कोई आकलन किया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले पांच वर्षों के दौरान कच्चे तेल, पेट्रोलियम उत्पादों और प्राकृतिक गैस के घरेलू उत्पादन, खपत/आवश्यकता, आयात पर निर्भरता, और आयात की मात्रा व प्रतिशत का वर्षवार ब्यौरा क्या है, साथ ही इसके मुख्य स्रोत-देश कौन से हैं;

(ग) सरकार द्वारा सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देने, निवेश आकर्षित करने और आयात पर निर्भरता कम करने के लिए नीतिगत सुधारों, प्रोत्साहनों और अन्य पहलों सहित कच्चे तेल, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के घरेलू अन्वेषण और उत्पादन को बढ़ाने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने कच्चे तेल और तरलीकृत प्राकृतिक गैस के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने, आयात के स्रोतों में विविधता लाने, देश की ऊर्जा सुरक्षा को सुदृढ़ करने और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए कोई रणनीति बनाई है, कोई लक्ष्य नियत किया है या कोई और नीतिगत उपाय कार्यान्वित करने का विचार है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) पिछले तीन वर्षों में शहरी गैस वितरण (सीजीडी) तंत्र के विस्तार में हुई प्रगति का राज्य/संघ राज्यक्षेत्रवार ब्यौरा क्या है, साथ ही, नए भौगोलिक क्षेत्रों (जीए) की संख्या कितनी है और पाइपकृत प्राकृतिक गैस (पीएनजी) कनेक्शन पाने वाले घरों की संख्या कितनी है?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सुरेश गोपी)

(क) और (ख): सरकार कच्चे तेल, पेट्रोलियम उत्पादों और प्राकृतिक गैस के घरेलू उत्पादन और खपत पर लगातार निगरानी रखती है और घरेलू उत्पादन और खपत/आवश्यकता के बीच के अंतर का आकलन करती है तथा आपूर्ति-मांग की स्थिति की समीक्षा करती है। पिछले पाँच वर्षों में घरेलू तेल उत्पादन में मामूली गिरावट देखी गई है, जिसका मुख्य कारण परिपक्व और पुराने तेल और गैस क्षेत्रों में प्राकृतिक गिरावट है। हालाँकि, इस अवधि के दौरान, राष्ट्रीय तेल कंपनियों (एनओसीज) - अर्थात् ओएनजीसी और ओआईएल - ने लगातार अपने उत्पादन स्तर को बनाए रखा है। ओएनजीसी ने लगभग 19.6 एमएमटी के औसत तेल उत्पादन को बनाए रखा है, जबकि ओआईएल ने उत्पादन में 2.94 एमएमटी से 3.44 एमएमटी की वृद्धि दर्ज की है। यह ध्यान देने योग्य

है कि एनओसीज ने वर्ष 2014-15 से वार्षिक गिरावट दर को 2% तक सीमित करने में सक्षम रही हैं, जो परिपक्व क्षेत्रों के लिए 6% वैश्विक औसत गिरावट दर (अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार) से अधिक बेहतर है।

कृष्णा-गोदावरी (केजी) बेसिन में गहरे समुद्री ब्लॉकों से आने वाले नए उत्पादन के कारण प्राकृतिक गैस का घरेलू उत्पादन वर्ष 2021-22 के बाद से बदल गया है। इसी अवधि के दौरान, आर्थिक विकास, बढ़ती ऊर्जा मांग और औद्योगिक एवं परिवहन उपयोग के विस्तार के कारण देश में पेट्रोलियम उत्पादों और प्राकृतिक गैस की खपत/आवश्यकता में वृद्धि होना जारी है।

तेल और गैस सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (पीएसईज) अपनी तकनीकी और वाणिज्यिक आवश्यकताओं के आधार पर विभिन्न स्रोतों से कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का आयात करते हैं। वर्तमान में, ये पीएसईज मिडिल ईस्ट में इराक, सऊदी अरब, यूएई, कुवैत और कतर जैसे पारंपरिक आपूर्तिकर्ताओं के अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका, नाइजीरिया, अंगोला, कनाडा, कोलंबिया, ब्राजील और मैक्सिको जैसे नए आपूर्तिकर्ताओं सहित 41 देशों से कच्चे तेल का आयात करती हैं।

पिछले पाँच वर्षों में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के घरेलू उत्पादन में वर्ष-वार रुझान और घरेलू उत्पादन, खपत, आयात निर्भरता और कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के आयात की मात्रा की वर्ष-वार स्थिति अनुलग्नक -I में दी गई है।

(ग)और (घ): सरकार ने घरेलू कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस उत्पादन को बढ़ावा देने और आयात पर निर्भरता को कम करने के लिए व्यापक नीतिगत, विनियामक और वित्तीय उपायों की एक श्रृंखला शुरू की है, जिसका उद्देश्य सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की कंपनियों की भागीदारी के माध्यम से देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करना और विदेशी विनिमय व्यय को कम करना है। इन उपायों में, अन्य बातों के साथ-साथ, तेल क्षेत्र (विनियमन और विकास) संशोधन अधिनियम के माध्यम से विधायी परिवर्तन, देश के अपतटीय क्षेत्रों में नो-गो प्रतिबंधों को मुक्त करना, उत्पादन साझेदारी संविदा (पीएससीज) से राजस्व साझेदारी संविदा (आरएससीज) में परिवर्तन, भूकंपीय डेटा के अधिग्रहण और प्रसंस्करण में भारी निवेश, अन्वेषण कूपों के वेधन की संख्या में वृद्धि आदि शामिल हैं। पिछले दशक के दौरान 3.5 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक की अन्वेषण के लिए भूमि आवंटित की गई है। ऐसी पहलों की एक सूची अनुलग्नक-II में दी गई है।

(ड.): पाइप्ड प्राकृतिक गैस (पीएनजी) कनेक्शन प्रदान करना और संपीड़ित प्राकृतिक गैस (सीएनजी) स्टेशनों की स्थापना करना, नगर गैस वितरण (सीजीडी) नेटवर्क के विकास का हिस्सा है और यह पीएनजीआरबी द्वारा प्राधिकृत कंपनियों द्वारा किया जाता है। पीएनजीआरबी द्वारा क्रमिक सीजीडी बोली दौर के तहत प्राधिकृत भौगोलिक क्षेत्रों (जीएज) की संख्या उत्तरोत्तर 300 (मार्च 2024) से बढ़कर 307 (मार्च 2025) और 309 (मई 2026) हो गई है। दिनांक 31.03.2026 की स्थिति के अनुसार, प्राधिकृत सीजीडी कंपनियों ने 1,69,49,377 घरेलू पीएनजी कनेक्शन प्रदान किए हैं और पूरे देश में 8,916 सीएनजी स्टेशन स्थापित किए हैं। पिछले तीन वर्षों के लिए राज्य-वार सीएनजी स्टेशनों और डीपीएनजी कनेक्शन की प्रगति का विवरण अनुलग्नक - III के रूप में संलग्न है।

अनुलग्नक- I

'कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का स्वदेशी उत्पादन' के संबंध में श्री नागेश बापुराव अष्टिकर पाटिल और श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल द्वारा दिनांक 23.07.2026 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 894 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

पिछले पांच सालों में कच्चे तेल और नैचुरल गैस के घरेलू प्रोडक्शन का साल-दर-साल ट्रेंड :

वित्त वर्ष	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26
कच्चा तेल (मिलियन मीट्रिक टन)	29.691	29.179	29.357	28.704	27.963
प्राकृतिक गैस (अरब घन मीटर)	34.024	34.450	36.438	36.109	34.776

स्रोत: हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय

पिछले पांच सालों में कच्चे तेल और नैचुरल गैस के घरेलू प्रोडक्शन, खपत, इम्पोर्ट पर निर्भरता और इम्पोर्ट की मात्रा की साल-वार स्थिति:

कच्चा तेल और पेट्रोलियम उत्पाद

वित्त वर्ष	घरेलू कच्चे तेल का उत्पादन (मिलियन मीट्रिक टन)	पेट्रोलियम उत्पादों की अनुमानित खपत (मिलियन मीट्रिक टन)	कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता (%)	कच्चे तेल का आयात (मिलियन मीट्रिक टन)
2021-22	29.7	201.7	85.5%	212.4
2022-23	29.2	223.0	87.4%	232.7
2023-24	29.4	234.3	87.8%	234.3
2024-25	28.7	239.2	88.3%	243.2
2025-26	28.0	241.6	88.7%	245.8

स्रोत: पेट्रोलियम योजना एवं विश्लेषण प्रकोष्ठ

प्राकृतिक गैस

वित्तीय वर्ष	प्राकृतिक गैस उत्पादन – शुद्ध (अरब घन मीटर)	खपत (अरब घन मीटर)	प्राकृतिक गैस आयात निर्भरता (%)	प्राकृतिक गैस आयात मात्रा (बिलियन क्यूबिक मीटर)
2021-22	33.131	64.159	48.4%	31.028
2022-23	33.664	59.969	43.9%	26.304
2023-24	35.717	67.512	47.1%	31.795
2024-25	35.594	71.314	50.1%	35.72
2025-26	34.326	68.753	50.1%	34.427

स्रोत: पेट्रोलियम योजना एवं विश्लेषण प्रकोष्ठ

अनुलग्नक-II

'कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का स्वदेशी उत्पादन' के संबंध में श्री नागेश बापुराव अष्टिकर पाटिल और श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल द्वारा दिनांक 23.07.2026 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 894 के भाग (ग) और (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

तेल और प्राकृतिक गैस के घरेलू अन्वेषण और उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा की गई पहलों की सूची:

i. हाइड्रोकार्बन खोजों के शीघ्र मुद्रीकरण के लिए उत्पादन साझेदारी संविदा (पीएससी) व्यवस्था, 2014 के तहत छूट, विस्तार और स्पष्टीकरण हेतु नीति।

ii. खोजे गए लघु क्षेत्र (डीएसएफ) नीति, 2015, जो उत्पादन में तेजी लाने के लिए खोजे गए परंतु अविकसित क्षेत्र, प्रदान करने के लिए एक पारदर्शी तंत्र प्रदान करती है।

iii. हाइड्रोकार्बन अन्वेषण और लाइसेंसिंग नीति (एचईएलपी), 2016, जो हाइड्रोकार्बन के अन्वेषण और उत्पादन के लिए एक समान लाइसेंसिंग ढांचा और राजस्व सहभागिता व्यवस्था प्रदान करती है।

iv. उत्पादक ब्लॉकों से निरंतर उत्पादन, को सुविधाजनक बनाने के लिए (पीएससीज 2016 और 2017) के विस्तार के लिए नीति।

v. कोल बेड मीथेन (सीबीएम) के शीघ्र मुद्रीकरण के लिए नीति, 2017, जो सीबीएम ब्लॉकों में विपणन और मूल्य निर्धारण की स्वतंत्रता को सक्षम बनाती है और प्रचालन संबंधी मुद्दों का समाधान करती है।

vi. दिनांक 28.02.2019 और 16.12.2019 की अधिसूचनाओं के माध्यम से विवाद समाधान के लिए प्रख्यात बाह्य विशेषज्ञों की समिति (सीईईई) का गठन। इस तंत्र के कार्यान्वयन से आज तक उत्कृष्ट परिणाम मिले हैं, जिसमें 31 मामलों में, सीईईई द्वारा की गई सिफारिशों को स्वीकार और कार्यान्वित किया गया है।

vii. वर्ष 2022 में लगभग 1 मिलियन वर्ग किलोमीटर के पूर्व के "नो-गो" अपतटीय क्षेत्र को मुक्त करना, जो पहले अन्वेषण के लिए प्रतिबंधित थे, जिससे खुला रकबा लाइसेंसिंग नीति (ओएएलपी) के तहत अन्वेषण के लिए अतिरिक्त क्षेत्र की पेशकश की जा सके।

viii. राष्ट्रीय तेल कंपनियों (ऑइल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड और ऑयल इंडिया लिमिटेड) द्वारा त्वरित अन्वेषण और वेधन गतिविधियाँ, जिसमें तटवर्ती और अपतटीय बेसिनों में निकट-क्षेत्र अन्वेषण और विकास संबंधी वेधन शामिल है।

ix. तेल क्षेत्र (विनियमन और विकास) संशोधन अधिनियम, 2025 का अधिनियमन और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम, 2025 की अधिसूचना, जो हाइड्रोकार्बन प्रचालन में पूरे समय के लिए एकल पेट्रोलियम लीज प्रदान करके अपस्ट्रीम विनियामक ढांचे का आधुनिकीकरण करती है, खनिज तेलों की परिभाषा को पारंपरिक और अपरंपरागत हाइड्रोकार्बन को शामिल करने के लिए व्यापक बनाती है, क्षेत्र के आर्थिक जीवन को विस्तारित करने के साथ लीज स्थिरता सुनिश्चित करती है और अनुमोदन के लिए स्पष्ट प्रक्रियाओं, समय-सीमा और मानकीकृत प्रारूपों की स्थापना करती है। यह कार्यप्रणाली, अवसंरचनात्मक साझेदारी, लीज विस्तार, कानून में किसी बदलाव की स्थिति में आर्थिक स्थिरीकरण, मजबूत न्यायनिर्णयन और विवाद समाधान तंत्र एवं बेहतर अनुपालन प्रावधानों को भी

प्रदान करता है। यह पेट्रोलियम लीज क्षेत्रों के भीतर नवीकरणीय ऊर्जा, हाइड्रोजन, ऊर्जा भंडारण और कार्बन प्रबंधन सहित व्यापक ऊर्जा परियोजनाओं को सक्षम बनाता है, साथ ही गैस फ्लेयरिंग को सीमित करने जैसे पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों को भी सक्षम बनाता है, जिससे हाइड्रोकार्बन संसाधनों के कुशल और संधारणीय विकास को बढ़ावा मिलता है।

x. उन्नत अन्वेषण, वेधन और रिजरवायर प्रबंधन प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाने के लिए तकनीकी सेवा प्रदाताओं के रूप में अंतरराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी भागीदारों और वैश्विक तेल कंपनियों के साथ सहयोग। राष्ट्रीय तेल कंपनियों ने मौजूदा क्षेत्रों से घरेलू उत्पादन को बढ़ाने के लिए कार्यनीतिक अंतरराष्ट्रीय तकनीकी समन्वय भी किए हैं। ओएनजीसी ने फरवरी 2025 में, बीपी एक्सप्लोरेशन (अल्फा) लिमिटेड को मुंबई हाई के लिए तकनीकी सेवा प्रदाता के रूप में नियुक्त किया और मई 2026 में उत्पादन में गिरावट को रोकने और रिकवरी को बढ़ाने के उद्देश्य से उन्नत उपायों के कार्यान्वयन का समर्थन करने हेतु शेष पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र में इस भागीदारी को बढ़ाया।

xi. सरकार ने यह मानते हुए कि उच्च गुणवत्ता वाला भूवैज्ञानिक डेटा अन्वेषण जोखिम को कम करने के लिए महत्वपूर्ण है, राष्ट्रीय डेटा रिपॉजिटरी (एनडीआर) की स्थापना की है, जो वर्तमान में लगभग 1.33 मिलियन लाइन किलोमीटर 2डी भूकंपीय डेटा, 0.47 मिलियन वर्ग किलोमीटर 3डी भूकंपीय डेटा और 24,500 से अधिक कुपों से संबंधित जानकारी जुटाती है। इसके अलावा, मिशन अन्वेषण के तहत सरकार द्वारा वित्त पोषित भूकंपीय अधिग्रहण कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे हैं, जिसमें 20,000 अतिरिक्त लाइन किलोमीटर के भूमि पर 2डी भूकंपीय डेटा का अधिग्रहण शामिल है, जबकि विशिष्ट आर्थिक ज़ोन के बाहर 30,000 लाइन किलोमीटर अपतटीय 2डी भूकंपीय डेटा का अधिग्रहण पहले ही पूरा किया जा चुका है।

xii. इसके अलावा, सरकार ने अपनी राष्ट्रीय तेल कंपनियों के माध्यम से, बीपी और टोटलएनर्जी सहित अंतरराष्ट्रीय भागीदारों के सहयोग से एक स्ट्रेटिग्राफिक कूप कार्यक्रम भी शुरू किया है, जिसमें अंडमान, सौराष्ट्र, महानदी और बंगाल बेसिन में चार स्ट्रेटिग्राफिक कूप शामिल हैं। अंडमान बेसिन में स्ट्रेटिग्राफिक कूप को पहले ही लगभग 5,400 मीटर की गहराई तक खोदा गया है। इससे फ्रंटियर श्रेणी II और श्रेणी III बेसिन की भूवैज्ञानिक समझ में मदद मिलेगी।

xiii. हाइड्रोकार्बन संसाधन मूल्यांकन अध्ययन (एचआरएएस): यह एक आवधिक, बेसिन-व्यापी अभ्यास है जिसमें अद्यतन भूवैज्ञानिक, भूभौतिकीय और कूप डेटा का उपयोग करके भारतीय तलछटी बेसिन की हाइड्रोकार्बन संभावना का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है, ताकि उस स्थान पर और पुनर्प्राप्ति योग्य हाइड्रोकार्बन संसाधनों का फिर से अनुमान लगाया जा सके। इस तरह का आकलन सरकार द्वारा समय-समय पर किया जाता है, जिसमें अंतिम आकलन वर्ष 2017 में पूरा किया गया था।

अनुलग्नक - III

'कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का स्वदेशी उत्पादन' के संबंध में श्री नागेश बापुराव अष्टिकर पाटिल और श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल द्वारा दिनांक 23.07.2026 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 894 के भाग (ङ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

पिछले तीन (03) वर्षों में राज्यवार प्रगति

क्रम सं.	राज्य / केंद्र शासित प्रदेश	पीएनजी घरेलू कनेक्शन			सीएनजी स्टेशन		
		मार्च-24	मार्च-25	मार्च-26	मार्च-24	मार्च-25	मार्च-26
1	आंध्र प्रदेश	2,75,517	2,85,425	2,96,440	203	233	242
2	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0		0	0
3	असम	58,474	67,830	74,316	22	35	45
4	बिहार	1,62,171	2,51,955	3,20,806	151	219	250
5	चंडीगढ़	26,845	30,316	33,295	9	10	10
6	छत्तीसगढ	3,499	11,002	19,796	23	55	72
7	दादरा और नागरा हवेली, दमन और दीव	17,560	19,034	20,139	12	12	12
8	दिल्ली	15,64,294	17,23,294	19,29,512	491	508	457
9	गोवा	13,598	18,865	20,085	12	14	15
10	गुजरात	32,88,498	35,79,961	38,44,934	1,017	1,055	1,102
11	हरियाणा	3,96,852	4,99,489	5,84,455	466	542	603
12	हिमाचल प्रदेश	7,715	9,926	13,983	15	22	26
13	झारखंड	1,40,014	1,75,143	1,94,116	111	131	156
14	कर्नाटक	4,41,432	5,01,910	5,91,851	379	455	516
15	केरल	76,894	1,37,524	1,55,395	146	222	251
16	केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख	0	0	0		0	0
17	मध्य प्रदेश	2,39,468	2,89,948	3,30,990	337	397	424
18	महाराष्ट्र	36,17,571	42,50,826	47,08,779	964	1,122	1,309
19	मणिपुर	0	0	0		0	0
20	मेघालय	0	0	0		0	4
21	मिजोरम	0	0	0		0	0
22	नगालैंड	0	0	0		0	0
23	ओडिशा	1,21,446	1,61,281	1,84,997	105	137	159
24	पुदुचेरी	0	0	75	5	15	15
25	पंजाब	87,548	1,08,161	1,37,830	246	271	305
26	केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर	0	0	0	1	3	3
27	राजस्थान	3,20,845	4,38,939	5,29,111	354	455	496
28	सिक्किम	0	0	0		0	0
29	तमिलनाडु	30,525	79,218	1,32,226	338	436	503
30	तेलंगाना	2,11,940	2,36,044	2,63,342	186	225	245
31	त्रिपुरा	62,136	66,139	70,840	18	27	30
32	उत्तर प्रदेश	16,50,326	19,35,296	22,45,832	1,081	1,215	1,367
33	उत्तराखंड	82,704	88,953	93,904	42	51	57
34	पश्चिम बंगाल	24,644	74,992	1,52,328	127	200	242
कुल योग		**1,29,22,516**	**1,50,41,471**	**1,69,49,377**	**6,861**	**8,067**	**8,916**
